उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1
सं0–वे0आ0–1–1176 / दस–11–28(एम) / 2007
लखनऊः दिनांकः 19 नवम्बर, 2011

इस अनुभाग के पत्र सं0–वे0आ0–1–376 / दस–2011–28(एम) / 2007 दिनांक 18 अप्रैल, 2011 के संदर्भ में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1(3) / 2008–संस्था–II(ख) दिनांक 17 अक्टूबर, 2011 की (हिन्दी व अग्रेजी) प्रति निम्नलिखित को इस आशय से पृष्ठांकित की जा रही है कि कृपया प्रदेश में तैनात अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को उक्त कार्यालय ज्ञाप की व्यवस्था के अनुसार दिनांक 01 जुलाई, 2011 से महंगाई भत्ते का भुगतान सुनिश्चित करने का कष्ट करें:–

1. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
5. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल।

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव, वित्त।

संख्या–वे0आ0–1–1176(1) / दस–2011, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–2 उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. सचिवालय में तैनात अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारी।
3. प्रभारी, निकनेट सेल, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ।
4. वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव, वित्त।